झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

सं0सं0–म0नि0–II–उप यो0–49/2017–18/ 46 वि0वि0/मत्स्य, राँची, दिनांक 23/03/22

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा0 प्र0 से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची ।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय– वित्तीय वर्ष 2021–22 में माँग सं0–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग), मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय में फीड बेस्ड फिशरीज योजना अंतर्गत कुल मो0 38.396 लाख (अड़तीस लाख उनचालीस हजार छः सौ) रू0 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ अनुमानित व्यय पर योजना की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य योजना में माँग सं0–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) के मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय के तहत् "फीड बेस्ड फिशरीज योजना" की कुल मो0 38.396 लाख (अड़तीस लाख उनचालीस हजार छः सौ) रूपये मात्र की लागत पर प्रशासनिक एवं कार्यान्वयन की स्वीकृति निम्न रुप से प्रदान की जाती है :–

(राशि रु0 में)

क्र० सं०	प्रस्तावित निर्माण कार्य	कुल लागत	वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु स्वीकृत राशि	जिला का नाम
(क)	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
1	हाईजेनिक फिश मार्केट परिसर शालीमार, राँची में अवस्थित फिश फीड मिल के शेड तथा पी0सी0सी0 रोड, चाहरदीवारी निर्माण के साथ–साथ फिश फीड मिल के पीछे की ओर लैंड स्केपिंग कार्य	38,39,600/–	38,39,600/–	राँची
	कुल योग:	38,39,600/–	38,39,600/–	

2. स्वीकृत राशि का व्यय निम्न बजट शीर्ष में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा जिसके लिए समुचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त है:

माँग सं0–53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष–4405–मछली–पालन पर पूँजीगत् परिव्यय

(राशि लाख रू0 में)

क्र० सं०	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	वर्तमान में स्वीकृत राशि	शेष बजट उपबंध
1	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन–उप शीर्ष–65–फीड बेस्ड फिशरीज योजना–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य 53S440500101650105545	25.00	0.00	25.00
2	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–65–फीड बेस्ड फिशरीज योजना–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य 53S440500796650105545	50.00	38.396	11.604
	कुल योग :	75.00	38.396	36.604

मो0 38.396 लाख (अड़तीस लाख उनचालीस हजार छः सौ) रू0 मात्र।

3. हाईजेनिक फिश मार्केट परिसर शालीमार, राँची में अवस्थित फिश फीड मिल के शेड तथा पी0सी0सी0 रोड, चाहरदीवारी निर्माण के साथ–साथ फिश फीड मिल के पीछे की ओर लैंड स्केपिंग कार्य के मो0 38,39,600/– रु0 मात्र के योजना प्राक्कलन पर अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, प्रमंडल–02, राँची द्वारा दिनांक 25.02.2022 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त है।

4. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी।

5. इस योजना अंतर्गत संपूर्ण स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय होगी तथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची होंगे। उनके द्वारा हाईजेनिक फिश मार्केट परिसर शालीमार, राँची में अवस्थित फिश फीड मिल के शेड तथा पी0सी0सी0 रोड, चाहरदीवारी निर्माण के साथ–साथ फिश फीड मिल के पीछे की ओर लैंड स्केपिंग कार्य हेतु वित्तीय लक्ष्य/स्वीकृत राशि के अधीन प्राप्त आवंटन से राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एक मुश्त करते हुए कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, प्रमंडल–02, राँची को पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।

उल्लिखित निर्माण कार्य का कियान्वयन राज्य योजना – फीड बेस्ड फिशरीज योजना (पूर्णतः राज्य योजना) से ही किया जाएगा तथा किसी अन्य योजना से इसका कार्यान्वयन नहीं किया जाएगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता से निरंतर संपर्क कर कार्य की प्रगति सुनिश्चित करेंगे।

6. कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, प्रमंडल–02, राँची के देख–रेख में उक्त निर्माण कार्य सम्पन्न कराया जायेगा।

7. कार्य का कार्यान्वयन झारखण्ड राज्य भवन निर्माण विभाग की संकल्प संख्या–3514 (भ0) दिनांक–24.11.2015 के आलोक में तथा झारखण्ड लोक निर्माण विभाग संहिता (PWD Code) में निर्धारित नियम/पद्धति के आलोक में कराया जायेगा।

8. तकनीकी रुप से स्वीकृत योजना प्राक्कलन के अनुरुप गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भी जवाबदेह होंगे।

9. योजना के राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची होगें, जो सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

10. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रकियाओं का अनुपालन कर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

12. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0–सी0एस0–2/आर0 –01–2005–301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

13. वित्तीय वर्ष 2020–21 में फीड बेस्ड फिशरीज योजना अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि मो0 150.00 लाख रु० मात्र (मुख्य शीर्ष–2405 में मो0 126.00 लाख एवं मुख्य शीर्ष–4405 में मो0 24.00 लाख रु0 मात्र) में से मो0 92.854 लाख रु0 (मुख्य शीर्ष–2405 में मात्र) का व्यय किया गया है।

14. इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में अग्रिम निकासी नहीं की गई है।

15. स्वीकृत्यादेश प्रारुप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब–साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 46 ¶0/वि0 मत्स्य / रॉची, दिनांक 23/03/22

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 46 ¶0/वि0 मत्स्य / रॉची, दिनांक 23/03/22

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची / संयुक्त मत्स्य निदेशक / उप मत्स्य निदेशक (सभी) / जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) / जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) / सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची / मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉची / प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची / अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, प्रमंडल–02, राँची एवं कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, प्रमंडल–02, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 46 ¶0/वि0 मत्स्य / रॉची, दिनांक 23/03/22

प्रतिलिपि : योजना–सह–वित्त विभाग (बजट शाखा, वित्त प्रभाग), झारखण्ड, रॉची / विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त / माननीय विभागीय मंत्री जी के आप्त सचिव / मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव / सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव / सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव